पत्र संख्या-वि0(27)-पे0को0-63/2016 /वि0, 69

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

पटना दिनांक- 01-2-18

सुजाता चतुर्वेदी,
प्रधान सचिव, वित्त विभाग ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार ।

विषय- नयी पेंशन योजना (NPS) से आच्छादित कर्मियों को ससमय वेतन भुगतान के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में दिनांक 01.09.2005 के प्रभाव से नयी पेंशन योजना लागू है जिसके अंतर्गत संप्रति लगभग 1,30,000 कर्मी निबंधित हैं । आप इस तथ्य से अवगत हैं कि NPS एक अंशदान आधारित पेंशन प्रणाली है जिसमें कर्मी एवं सरकार के अंशदान से सृजित पेंशन निधि से ही सेवानिवृति/मृत्यु के पश्चात पेंशन का भुगतान किया जाता है । पी0एफ0आर0डी0ए0, नई दिल्ली के साथ NPS के संदर्भ में समय-समय पर की गयी समीक्षा बैठक में यह तथ्य सरकार के संज्ञान में आया है कि सभी NPS कर्मियों के संदर्भ में कर्मी एवं सरकारी अंशदान का नियमित मासिक फंड अंतरण नहीं हो रहा है । इसका कारण यह है कि डी.डी.ओ. कार्यालय अपने कर्मियों का नियमित वेतन भुगतान नहीं कर रहे हैं । विलंबित अथवा एरियर के रूप में वेतन भुगतान की स्थिति में फंड अंतरण में विलंब होता है तथा NPS कर्मियों को भी इससे वित्तीय क्षति होती है । यह एक खेदजनक स्थिति है जो भविष्य में न्यायिक वादों को जन्म दे सकता है ।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों/डी.डी.ओ. को इस हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय कि वे NPS कर्मियों का वेतन भुगतान नियमित रूप से मासिक आधार पर करें, ताकि विलंबित भुगतान की स्थिति उत्पन्न न हो । ऐसा न होने पर किसी प्रतिकूल स्थिति के लिये संबंधित पदाधिकारी ऊतरदायी होंगे । कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन

30.1.18

(सुजाता चतुर्वेदी)
प्रधान सचिव, वित विभाग ।